IV - 2

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BU 351800

22 OCT 2012

860

दस्तावेज ट्रस्ट (न्यास)

निर्मल मूलचानी एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट

न्यास विलेख (Instrument of Trust)

यह न्यास विलेख आज दिनांक 1·1·14 को ग्राम सलेमपुर वाजिदपुर तहसील– जखनियां जिला–गाजीपुर (उ0प्र0) में **सुरेन्द्र यादव पुत्र श्री निर्मल यादव** निवासी ग्राम सलेमपुर वाजिदपुर तहसील– जखनियां जिला–गाजीपुर (उ0प्र0) द्वारा घोषित किया गया। जिसे न्यासकर्ता/संस्थापक कहा जायेगा क्योंकि न्यासकर्ता/संस्थापक पर रुपया 5000/ (पांच हजार रुपये मात्र) की राशि है । जिसे की वह पुरुषार्थ एवं सामाजिक कार्यों हेतु दान देने की इच्छा करते हैं। न्यासकर्ता/संस्थापक उक्त राशि का अप्रति सहरणीय न्यास बनाने हेतु इच्छुक है जो कि समाज उत्थान एवं शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेगा क्योंकि यह ट्रस्ट <u>निर्मल मूलचानी एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट</u> के नाम जाना जायेगा तथा कार्य करेगा ,जिसे की आगे संक्षिप्त में ट्रस्ट भी कहा जा सकेगा ।

सुरेन्द्र यादव

क्रमशः......2

दिनांक 1-1-2014 कीमत 100) क्रम 1466

प्रयोजन – ट्रस्ट
क्रेता – सुरेन्द्र यादव एवं निर्मल यादव
सा० – सलेमपुर परगना शादियाबाद जिला गाजीपुर

शोभनाथ सिंह यादव

शोभनाथ सिंह यादव ... स्टाम्प
... 14
शादियाबाद, गाजीपुर

न्यासपत्र- 5000/-

मुद्रक निबन्धन शुल्क प्रतिलिपि योग शब्द लगभग
200/- 50/- 250/- 3000

सुरेन्द्र यादव निर्मल यादव
खेती सलेमपुर शाहबाद जखनियाँ

1-1-2014 3

4

1-1-2014
उप निबन्धक
जखनिया

सुरेन्द्र यादव

सुरेन्द्र यादव पुत्र उक्त

राजकुमार यादव
खेलावनचन्द्रसिंह यादव खेती फिरोजपुर
शाहबाद

विसर्जन सिंह यादव एडवो०
वोटर कार्ड का निर्वाचन कार्ड।

1-1-2014

सुरेन्द्र यादव राजकुमार यादव विसर्जन सिंह यादव एड०

1-1-2014

(17) विशेष :–

(क) इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित/कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/ कार्यक्रम /ईकाई/कार्यालय/संस्था उपक्रम के कार्य संचालन हेतु पृथक से नियम उपनियम बनाये जा सकते हैं। परन्तु यदि वह इस डीड ऑफ ट्रस्ट **निर्मल मूलचानी एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट** के उद्‌देश्य एवं नियमावली के किसी भी प्राविधान का अतिक्रमण करते हैं तो वह नियम या उपनियम अतिक्रमण की सीमा तक शून्य होंगें।

(ख) अध्यक्ष/ट्रस्टी यदि उचित समझे तो किसी/किन्हीं परिस्थितियों में इस ट्रस्ट डीड के किसी/ किन्हीं प्राविधानों/को शिथिल कर सकते हैं। तथा प्राविधान/प्राविधानों के होते हुए भी अन्यथा निर्णय ले सकते हैं। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष का विवेक व्यवस्था ही अन्तिम होगी। (इस धारा के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा की गयी किसी भी कार्यवाही को कहीं भी किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। **निर्मल मूलचानी एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट** की उक्त न्यास विलेख एवं उसमें सन्निहित **निर्मल मूलचानी एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट** के उद्‌देश्य एवं नियमावली एतद्‌द्वारा अधिनियमित घोषित स्वीकृत आत्मार्पित एवं तत्काल से कार्यान्वित की जाती है। कि उक्त न्यास विलेख को पढ़कर एवं समझ कर व्यवहार में लाने हेतु निम्न साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर दिये गये।

ट्रस्ट का स्वरुप

क्र0सं0	नाम	पता	पद	पेशा
1	श्री सुरेन्द्र यादव पुत्र निर्मल यादव	सलेमपुर,वाजिदपुर गाजीपुर	मैनेजिंग ट्रस्टी	समाजसेवा /अध्यक्ष
2	श्री राजनरायन यादव पुत्र श्री शंकर यादव	महरुमपुर,सैदपुर गाजीपुर	उपाध्यक्ष	सामजसेवा
3	श्री राजकुमार यादव पुत्र श्री रामनिवास यादव	बवाडे ,भिक्खी गाजीपुर	सचिव	समाजसेवा
4	श्री राजेश यादव पुत्र रामवृक्ष यादव	रामवन,मुडकुडा गाजीपुर	उपसचिव	समाजसेवा
5	श्री सियाराम यादव पुत्र राजकुमार यादव	गोडारी,शादियाबाद गाजीपुर	सदस्य	समाज
6	श्री हरिकेश यादव पुत्र तुफानी यादव	मैहर,सिखडी गाजीपुर	सदस्य	समाजसेवा

टंकणकर्ता
Rakesh kr sharma
राकेश कुमार शर्मा

साक्षीगण :–

नाम : अशोक कुमार यादव पुत्र स्व० रामजनम यादव
पता : ग्राम- भाऊ? नन्दगंज गाजीपुर

नाम : राजकुमार यादव पुत्र स्व० रामनिवास यादव
ग्रा० भिक्खी पो० मुड़कुड़ा गाजीपुर
पता :
दिनांक :–

सुरेन्द्र यादव
सुरेन्द्र यादव
(संस्थापक/अध्यक्ष/ट्रस्टी)
निर्मल मूलचानी एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट

विसर्जन सिंह यादव
मसविदाकर्ता
ए०डी०

सुरेन्द्र यादव 9-9-2014